

**सत्यमेव जयते**

**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश संचालक**

संख्या- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2023/12050001

संख्यक: दिनांक 12-09-2023

**सत्यमेव जयते**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संबन्धित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ- प्र संचालक से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संख्या: दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संघर्ष हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को उक्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ- प्र संचालक द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उक्तमें अखिल विशेष क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता : KMS-SATYADEV INSTITUTE OF TECHNOLOGY

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम                    | एम्प्लॉयमेंट/वीट/पीएचडी/आरि<br>द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित<br>संख्या संख्या | परिषद द्वारा सत्र 2023-<br>24 हेतु अनुमोदित<br>संख्या संख्या |
|---------|-------------------------------------|---|--|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 125   | 125  |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 125   | 125  |
| 3       | ELECTRONICS ENGINEERING             | 30  | 30   |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 30  | 30   |
| 5       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 125   | 125  |

**संबद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 315/146-2023/315-10000 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा जारी में प्राविधिक कला संस्थानों की शर्तों के विस्तृत प्रावधानों के अंतर्गत दिए गये प्रावधानों के अंतर्गत संचालक से प्राविधिक शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संबद्धता विस्तार प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुमोदन प्रदान में संस्था का पता (पता, फोन, ईमेल/वेबसाइट) उचित रूप में होना चाहिए।
- ✓ संचालक उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1202 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा 1992 दिनांक 18 मई 2023 के संख्या: दिनांक 02-08-2023 एवं दिनांक 23-07-2023 को प्राविधिक शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।



**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7917

सम्बद्धता-दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उाप्र सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संवदित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करने हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उाप्र सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम - 4450-SATYADEV INSTITUTE OF TECHNOLOGY

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम                    | एओआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 120  | 120   |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 120  | 120   |
| 3       | ELECTRONICS ENGINEERING             | 30   | 30  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 30   | 30  |
| 5       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 120  | 120   |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एओआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, रेगुलेशन विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गित संशोधनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30,150,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मीय पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45,000,000/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मिसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22,500,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक कार्यक्रम से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले

शासनद्वारा प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीएस निर्देशन समिति द्वारा यदि वर्ष 2022-23 हेतु पीएस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएस की नवीनताम दरे लागू होंगी।

- ✓ संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्थान को समय-समय पर निर्गत शासनद्वारा के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करवा दिया।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविपरीत/अविधिविपरीत/शासनद्वारा निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में शासन उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वाद वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधी संस्था को बनानी होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अधर परपीठे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम बाधक्या विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूड़ि भूमि, स्टाफ, साज-सजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साठखरन उपकरण कमाने के साथ वैलिड रोलने के सम्बन्ध में उत्तम सावधानता कावस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघठित पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघठन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अतिरिक्त राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सजावट ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के माध्यमद्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता चर्चा का अनुपालन न किये जाने अथवा चर्चा का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में शासनद्वारा अनुशासनप्रामाण कार्यवाही की जायेगी।

*Mian*  
(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

अधिस

पू०सं०- प्राविधिक/परिषद संम्बद्धता/2022/7818-6455

दिनांक: 30/06/2022

प्रतिवेदन-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SATYADEV INSTITUTE OF TECHNOLOGY

*Mian*  
(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

## कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संज्ञक: दिनांक: 09/06/2021

### कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा बौद्धिक सत्र 2021-22 हेतु विस्तार/स्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघसित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंडों पर विस्तार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोठ एवं नाम : 4456-SATYADEV INSTITUTE OF TECHNOLOGY, GANDHIPURAM (BORASIA), POST- FADANPUR, GHAZIPIUR

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम                    | ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 120  | 120   |
| 2       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 120  | 120   |
| 3       | ELECTRONICS ENGINEERING             | 30   | 30  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 30   | 30  |
| 5       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 120  | 120   |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1962, सेक्टर विनियमवर्ती-2018 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं भूदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फौरन निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना अधिनियमवली-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेख के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ एटि. पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा जो कि किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई हानि/ख़तरा किना जाता है तथा दायर बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करने होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कौन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की (कौन्सिलिंग के माध्यम से) काफ़ी संख्या स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रकाश किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यक्तिगत हेतु उपयुक्त बसावट/उपलब्ध करने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संबद्धित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भजन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के सतत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, इलाहाबाद, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनजनक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-



